न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर
जिला – भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 93/2018
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

1. भगवानलाल पिता पेमा रेगर माता डाली बाई निवासी धनोली तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज0)
2. बलुराम पिता कजोड़ रेगर माता मूली बाई निवासी धनोली तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भेरा पिता मोती रेगर निवासी माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0)
2. किशना पिता मोती रेगर निवासी माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः– श्री महेश दाधीच
प्रतिवादी :–पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

दिनांक 24/07/2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण राजस्व ग्राम कोशीथल, पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा की सीमा में आराजी संख्या 1672 रकबा 0.01 हे0, 1673 रकबा 0.40 हे0, 1674 रकबा 0.23 हे0, 1675 रकबा 0.21 हे0, 1676 रकबा 0.26 हे0, 1677 रकबा 0.22 हे0, 1678 रकबा 0.06 हे0, कुल किता 07 कुल रकबा 1.39 हे0 भूमि खाता संख्या 982 पर स्थिति है। जिसकी जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है।
यह कि वादीगण के परिवार का राजरा निम्न प्रकार हैः–

हेगा

डाली(पुत्री)	मूली(पुत्री)	दाखी (पत्नी) फौत
भगवानलाल(पुत्र)	बालुराम(पुत्र)	कजोड(पति)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

Scanned with CamScanner

यह कि चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात मृतक हेमा के वक्त से चली आ रही है तथा हेमा वादी संख्या एक व वादी संख्या दो के नाना लगते है, मृतक हेमा के दो पुत्रियां डाली व मूली थी जिनका निधन हेमा के निधन के बाद हुआ है। वादीगण हेमा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है तथा हेमा द्वारा छोड़ी गई कृषि आराजियात पर काविज होकर काश्त लाभ ले रहे है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात का नामान्तरण हेमा के निधन के बाद नामान्तरण संख्या 354 ग्राम पंचायत कोशीथल द्वारा बिना वादीगण को सुने व बिना नोटिस दिये प्रतिवादी संख्या एक व दो के पक्ष में निर्णित कर दिया व हेमा के कोई पुत्रियां नहीं होना बताया है जबकि मृतक खातेदार हेमा पिता बगता रेगर के दो पुत्रियां डाली व मूली थी जिन्हें नहीं सुना गया। प्रतिवादी संख्या एक व दो जो कि मोती के पुत्र है जबकि मोती मृतक हेमा का भाई नहीं लगता था तथा हेमा के पिता बगता ने नाता विवाह किया जिसके साथ मोती अधर्मज पुत्र आया था जिसे गलत आधार पर मृतक हेमा का भाई बताकर उक्त नामान्तरण संख्या 354 दिनांक 19.12.2001 निर्णित करा लिया जबकि मृतक खातेदार की पुत्रियां डाली व मूली है जिनके पुत्र वादीगण जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते हुए मोती व मोती के वारिसों को किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या एक का मृतक हेमा की आराजियात में नहीं है। नामान्तरणकरण संख्या 354 वादीगण के मुकाबले आरम्भ से ही अवैध होकर शून्य हैं जिससे प्रतिवादी संख्या एक व दो को कोई अधिकार पैदा नहीं होते है तथा वादीगण को अपने नाना की सम्पत्ति में से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। वादीगण का मृतक हेमा द्वारा छोड़ी गई उक्त वर्णित आराजियात में हक व हिस्सा निहित है जिससे वादीगण को वाद पत्र में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात मृतक हेमा के वक्त से चली आ रही है, उनके निधन के बाद वादीगण के नामान्तरण निर्णित नहीं हुआ एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो जो कि मृतक मोती के उत्तराधिकारी है जिन्होंने राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत कर उक्त नामान्तरण संख्या 354 अपने पक्ष में निर्णित करा लिया जबकि वादीगण मृतक खातेदार हेमा के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है एवं वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण काबिज चले आ रहे है एवं काश्त लाभ ले रहे है जिन्हें अपनी माता व नाना की सम्पत्ति से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है लेकिन प्रतिवादी संख्या एक व दो के पक्ष में गलत , अवैध व शुन्य नामान्तरण से उक्त आराजियात अभिलिखित हो जाने से प्रतिवादी संख्या एक व दो वादीगण का आधिपत्य हटाने , अन्य को अन्तरित करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है तथा उक्त आराजिया पर ऋण व भार बढ़ाने की धमकिया दे रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या एव व दो का किसी भी प्रकार से हक व हिस्सा नहीं बनता है, न ग्राम कोशीथल में प्रतिवादी संख्या एक व दो निवास करते हैं लेकिन राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत , अवैध व शुन्य नामान्तरण के आधार पर वादीगण के अधिकारों को चुनौती दे रहे है जिससे वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के हक , हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, न भूमि को विक्रय करें, न भूमि में

2.

(सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
... (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रवेश करें, न वादीगण का आधिपत्य हटावें, न ऋण भार बढ़ावें, न ये कृत्य स्वयं करें न अन्य से करावें।

वादीगण ने प्रार्थना की हैं कि वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व तद्नुसार डिक्री जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी संख्या एक व दो का नाम राजस्व अभिलेखों में विलोपित फरमाया जावे।

यह कि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है कि वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात में वादीगण के हक, हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, न भूमि को विक्रय करें, न भूमि में प्रवेश करे, न वादीगण का आधिपत्य हटावें, न ऋण भार बढ़ावे, न ये कृत्य स्वयं करें न अन्य से करावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 03 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती हैं ।

वादीगण की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1, P.W-2 प्रस्तुत किया हैं। जिसमें राजस्व ग्राम कोशीथल की वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श –1 है। साबिक जमाबंदी संवत् 2054 प्रदर्श–2 है, जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 प्रदर्श –3 हैं। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –4 है। नामान्तरण संख्या दिनांक 19.12.2001 प्रदर्श –5 है। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में कुल 5 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

वादीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादीगण ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यों पर मनन किया। प्रकरण में वादीगण ने वादपत्र में वर्णित परिवार सजरा अनुसार डाली एवं मूली हेमा की संतान होकर वादीगण की माता है ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रतित होता हो कि यह हेमा की संतान है। साथ ही यह भी साक्ष्य पेश नहीं किया कि वादीगण डाली एवं मूली की संतान है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट का साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है अतएवं –

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट का साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 93/2018
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

1. भगवानलाल पिता पेमा रेगर माता डाली बाई निवासी धनोली तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज0)
2. बलुराम पिता कजोड़ रेगर माता मूली बाई निवासी धनोली तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज0)

वादीगण

बनाम

1. मेरा पिता मोती रेगर निवासी माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0)
2. किशना पिता मोती रेगर निवासी माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः– श्री महेश दाधीच
प्रतिवादी :–पेरोकार सरकार

दिनांक 24/07/2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश दाधीच, पेरोकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक ......03.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––––×–––––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित –––––×–––––– द्वारा ––––––×–––––––– को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट का साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 24/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner